न्यायालय सिविल जज (जू0 डि0), रामसनेहीघाट, कोर्ट सं0-14, बाराबंकी

मूलवाद संख्या-47/2020

सुन्दरलाल पाण्डेय बनाम राजधर आदि

दिनांक 15.04.2023

पत्रावली आज प्रार्थना पत्र 6-ग/21-ग पर आदेश हेतु नियत है, जिस पर पूर्व में उभय पक्षों की बहस सुनी जा चुकी है।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 6-ग/18-ग वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा

वादीजन द्वारा प्रार्थना पत्र 6-ग बाबत अथाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 5 सगे भाई है एवं अन्य प्रतिवादीगण वादी के सगे भतीजे है । पिता की मृत्यु के बाद पिता की पुश्तैनी जमीन घर द्वार सहन आदि का आपस में बंटवारा हो गया था, उसके वाद सभी अपनी अपनी भूमि पर मालिक व काबिज है । वादी के मकान के पश्चिम वादी का सहन है एवं उस मकान सहन के उत्तर प्रतिवादीगण का मकान है । वादी अपने सहन पर नांदे खूटे लगाये है, शौचालय बना है, एक कुआँ भी मौजूद है एवं तीन नीम पेड़ है। वादी के सहन पर प्रतिवेगण कब्ज़ा कर लेना चाहते है । अत: प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञ से रोक दिया जाये ।

प्रतिवादीजन द्वारा 18-ग से मुख्यतः यह कथन किया कि उभय पक्ष सगे रिश्तेदार है । पुश्तिसनी मकान में सभी भाईयों का हिस्सा था जिसमे वादी को सिर्फ रहने के लिए दिया गया था । सगे भाई राधे श्याम ने अपनी संपत्ति प्रतिवादी संख्या 5 के हक़ में कर दी है इसलिए वादी क्षुब्ध हो कर गलत तथ्य रखे है । अतः वादीजन का प्रार्थना पत्र निरस्त जाने की याचना की गयी है ।

सुना व अवलोकन किया । पत्रावली का परिशीलन किया । अस्थायी निषेधाज्ञा संबंधी प्रार्थना पत्रों के निस्तारण हेतु मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक होता है, जिस पर विचार किया गया-

1. प्रथमदृष्टया केस
2. सुविधा का सन्तुलन
3. अपूर्णनीय क्षति

पत्रावली में कमीशन आख्या 23-ग दाखिल है । कमीशन आख्या सक्ष्याधीन किया गया है एवं आख्या दोनों पक्षों के कथनों में अलग है । उभय पक्षों द्वारा अपने कथनों के समर्थन में कोई भी दस्तावेज दाखिल नहीं किया गया है ।

प्रथम दृष्टया वाद

वादी द्वारा यह वाद अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रतिवादीजन के विरूद्ध योजित किया गया है। वादी द्वारा मुख्यतः यह कथन किया गया है कि प्रश्नगत सहन को बटवारा में मिला है जिसे प्रतिवादीजन कब्ज़ा करना चाहते है । यदाप्पी प्रतिवादीजन द्वारा यह कथित किया गया है कि प्रश्नगत सहन एवं अकान पर सभी भाईयों

Digitally signed by Arpita Sahu
Date: 2023.04.15 17:28:22 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

का हक़ है । उभय पक्षों ने अपने कथनों के समर्थन में कोई भी अभिलेख साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है । अतः इस दशा में वादी का प्रथम दृष्टया वाद साबित नहीं होता है।

<u>सुविधा का संतुलन</u>

प्रश्नगत संपत्ति उभय पक्षों को अपने पिता के मृत्यु के बाद आपसी बंटवारा में मिली, जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया वाद वादी के पक्ष में नहीं पाया गया है इस स्तर पर जहाँ आपसी बंटवारा पंजीकृत ना हो उस स्थिति में अगर प्रतिवादी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान करेंगे तो सुविधा का संतुलन कायम नहीं होगा। अतः सुविधा का संतुलन भी प्रतिवादी के पक्ष में भी पाया जाता है।

<u>अपूर्णनीय क्षति</u>

उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन वादी के पक्ष में नहीं पाया गया है। वाद के इस स्तर कोई भी परिस्थिति दर्शित नहीं हो रही है कि यदि अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं किया गया तो वादिनी को अपूर्णनीय क्षति होने की संभावाना है। इसके विपरीत प्रतिवादी के विरूद्ध अस्थायी निषोधाज्ञा जारी करने से अपूर्णनीय क्षति होने की संभावना अधिक है।

उपरोक्त विश्लेष्ण से यह साबित होता है कि वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति साबित नहीं होती है। अतः वाद के प्रक्रम में वादी का प्रार्थना पत्र 6-ग निरस्त होने योग्य है।

आदेश

प्रार्थना पत्र 6-ग निरस्त किया जाता है। तदनुसार आपत्ति 18-ग निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते तनकीह दिनांक 26.04.2023 को पेश हो।

(अर्पिता साहू)
दिनांक 15.04.2023 सिविल जज (जूनियर डिवीजन)
कोर्ट संख्या 14, बाराबंकी।